अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालयिक कर्मचारी संघ (अरूस्मा)

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)

प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

क्रमांकः ARUSMA/प्रदेश/राज./2025/223–228 दिनांकः– 22.11.2025

माननीय मुख्यमंत्री/उच्च शिक्षा मंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर।

श्रीमान् आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त,
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

विषयः– कॉलेज शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किए जाने हेतु अनुरोध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कॉलेज–शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किए जाने हेतु निवेदन हैं कि कर्मचारियों की कार्यशैली की उन्नति एवं कार्यक्षमता वृद्धि हेतु राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कर्मचारियों के लिए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन न केवल योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह व्यक्तिगत स्तर पर विभागीय **नवाचार में भी अभिवृद्धि** करता है।

– राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के माध्यम से विभागीय कर्मचारियों के कार्य, निष्ठा और योगदान को मान्यता प्रदान की जाती है, जो कर्मचारी वर्ग में प्रेरणा और कार्य–उत्साह का संचार करती है।

– राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन कर्मचारियों के मनोबल, कार्यकुशलता एवं सेवा–निष्ठा को भी प्रोहत्साहित करता है।

– कॉलेज शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी भी उच्च शिक्षा प्रणाली के सुचारू संचालन में समान रूप से योगदान दे रहे हैं, परंतु अब तक इस वर्ग के लिए अलग से राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन नहीं किया गया है। इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक हैः–

– कॉलेज शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासनिक कार्यों का अभिन्न अंग हैं और विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा उच्च प्रबंधन के बीच समन्वय का कार्य कुशलतापूर्वक करते हैं।

– कॉलेज शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक कर्मचारियों की कार्यप्रणाली से ही कॉलेजों में शैक्षणिक, परीक्षा, छात्रवृत्ति, लेखा, वित्तीय अनुशासन, शासनादेशों एवं विभागीय योजनाओं का अनुपालन एवं क्रियान्वयन तथा संस्थापन संबंधी कार्यालयी व्यवस्था सुव्यवस्थित एवं पूर्णतः नियमानुसार संचालित होती है।

– विद्यालयी शिक्षा के समान उच्च शिक्षा स्तर पर भी मंत्रालयिक कर्मचारियों की भूमिका राज्य के उच्च शिक्षा के शैक्षणिक ढांचे छात्र–हितकारी नीतियों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर मजबूती प्रदान करती है।

– अन्य विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारियों की भाँति, कॉलेज शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी सम्मान देने से उनमें आत्मगौरव, प्रेरणा, व कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)
प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

– राज्य स्तर पर सम्मान समारोह के माध्यम से मंत्रालयिक कर्मचारियों की विभागीय उपलब्धियों को राज्यभर में प्रसारित किया जा सकेगा, जिससे कॉलेज शिक्षा विभाग की प्रभावशीलता बढेगी।

– आयोजन की व्यवहार्यता – कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान में यह समारोह प्रतिवर्ष राज्य की राजधानी–जयपुर में आयोजित किया जा सकता है। जिसके लिए आवेदन एवं चयन संबंधी पात्रता शर्तें एवं मानदंडों के निर्धारण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान से समन्वय स्थापित कर निर्धारण किया जा सकता हैं। जिसमें निर्धारित मानदंडों एवं पात्रता को पूर्ण करने वाले प्रत्येक जिले से 01 मंत्रालयिक कर्मचारी के अनुसार राज्य के कुल 41 जिलों में से 41 कर्मचारियों का नियमानुसार एवं निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार चयन कर इस प्रकार के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में 01.00 लाख रूपये प्रति कर्मचारी को नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, एवं स्मृति–चिन्ह प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के आयोजन में कुल 50–60 लाख रूपये का अनुमानित व्यय होने की संभावना है जो कि उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान के वार्षिक बजट का न्यूनतम हिस्सा है। स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के मॉडल का अनुसरण कर इसे लागू किया जा सकता है।

समानता एवं न्याय के सिद्धांतों की दृष्टि से यह आवश्यक है कि कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान के मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए भी राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन कर संबंधित कर्मचारियों के विभाग में योगदान को मान्यता प्रदान किया जाना आवश्यक है। इससे कर्मचारियों में आत्मगौरव की भावना जागृत होगी, कार्य के प्रति उत्साह बढेगा तथा विभागीय कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनेगी।

यह कदम न केवल कर्मचारियों के हित में होगा, बल्कि कार्मिकों का अपने विभागीय कार्यप्रणाली के प्रति विश्वास को भी सुदृढ एवं प्रबल करने के साथ ही कर्मचारियों की अपनी कार्यसंस्कृति के प्रति संतुष्टी की भावना को भी अभिप्रेरित करेगा।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में आपसे अनुरोध हैं कि संघ की उपरोक्त माँग के क्रम में **'समानता के सिद्धांत'** को लागू करते हुए विभाग हित, कार्मिक हित में कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान में भी मंत्रालयिक कर्मचारियों के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के आयोजन के संबंध में शीघ्र कार्रवाई कर आदेश प्रसारित करवाने का श्रम करावें।

आपकी सकारात्मक कार्रवाही की प्रतीक्षा में।

संलग्नः– स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के द्वारा विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारियों के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किए जाने के लिए लागू आवेदन–पत्र की प्रतिलिपि।

दिनांकः– 22–11–2025 **भवदीय**

प्रकाश चन्द्र शर्मा

प्रदेशाध्यक्ष, ARUSMA

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)
प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/साप्र/बी–2/4399(49)(21)/2025/ई–44027/01 दिनांक :यथाहस्ताक्षर
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
सम्भाग स्तरीय शिक्षा संकुल
बीकानेर/जयपुर/अजमेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/पाली/भरतपुर/चूरू
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक/माध्यमिक

विषय :– शिक्षा विभागीय (राज्य स्तरीय) मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारी पुरस्कार एवं सम्मान समारोह–2025

——

शिक्षा विभाग द्वारा अपने मंत्रालयिक कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य कर विभाग की प्रतिष्ठा बढाई हैं को प्रति वर्ष राज्य स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता रहा है, इस क्रम में पुरस्कार एवं सम्मान समारोह 2025 का आयोजन दिनांक 16.12.2025 विभागीय मुख्यालय बीकानेर में किया जाना है।

विभाग में उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किये जाने बाबत उनके चयन के प्रस्ताव अनिवार्यतः निदेशालय को उपलब्ध करवाए जाने है।

1. इस योजना में शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारी ही सम्मिलित होंगे जो अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियमों के अन्तर्गत वर्णित पद नाम के है यथा संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक, जमादार, सहायक कर्मचारी एवं समकक्ष, वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक, आशुलिपिक इत्यादि। कुल 36 कार्मिकों (9 मण्डल x 4=36) को राज्य स्तरीय मेरिट बनाकर प्रत्येक मण्डल से प्रस्तावित कार्मिकों में से शीर्ष 04 मेरिट वाले कार्मिकों का चयन किया जाकर तदनुसार सम्मानित किया जायेगा । प्रत्येक मण्डल का कोटा निर्धारित होने के कारण उस मण्डल के 5वीं वरीयता पर प्रस्तावित कार्मिकों से अधिक होने पर भी उसके चयन पर विचार नहीं किया जावेगा। राज्य स्तरीय कमेटी की विशेष अनुशंषा पर निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा से 02–02 (कुल 04) कार्मिकों का चयन मेरिट अनुसार किया जायेगा।

2. जिले में संचालित समस्त विद्यालयों, कार्यालयों एवं विशिष्ट संस्थानों में कार्यरत सहायक कर्मचारी संवर्ग/मंत्रालयिक संवर्ग/निजी सहायक संवर्ग/वाहन चालक संवर्ग में न्यूनतम 15 वर्ष की शिक्षा विभागीय सेवाऐं पूर्ण कर चुके उत्कृष्ट कार्य वाले कार्मिकों के प्रस्ताव स्वयं संस्था प्रधान द्वारा प्रस्तावित किये जाकर गोपनीय स्तर पर तीन प्रतियों में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारंभिक) को दिनांक 17.10.2025 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे । इस हेतु परिशिष्ठ–1(क),(ख–I),(ख–II),ग,घ संलग्न हैं ।

3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उक्त प्राप्त प्रस्तावों में प्रमाण–पत्र मय आवश्यक अनुशंषा सहित प्रस्ताव तीन प्रतियों में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) स्तर पर गठित कमेटी के समक्ष गोपनीय रूप से दिनांक 27.10.2025 तक प्रस्तुत करेंगे ।

प्रपत्र की पूर्तियां संबंधित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्मिक के रिकार्ड, व्यक्तिगत पंजिका, सेवा पुस्तिका तथा वार्षिक कार्य मुल्यांकन आदि स्त्रोतो से की जावें । इसके साथ ही सभी सूचनायें, प्रशंसा प्रमाण–पत्रों, शैक्षिक एवं तकनीकी शिक्षा आदि की प्रमाणित फोटो प्रतियॉ तथा प्रकाशित पुस्तक, लेख साहित्य इत्यादि की पुष्टि के अभिलेख संलग्न किये जावें । वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संतोषजनक सेवा प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.09.11 16:40:22 IST
Reason: Approved

4. कार्मिक से किसी भी प्रकार का प्रपत्र नहीं भरवाया जावें। अनुशंषा नितान्त निष्पक्ष एवं न्यायोचित होनी चाहिए इसमें पूर्णतया गोपनीयता बरती जावें ।

5. अब तक राज्य स्तर पर पुरस्कृत समस्त कार्यरत कार्मिकों एवं भविष्य में पुरस्कृत कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में उक्त पुरस्कार का इन्द्राज संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वतः किया जावें। पूर्व वर्षो में पुरस्कृत कार्मिक जो कि वर्तमान में सेवा में है, की सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावें। पुरस्कृत कार्मिकों को अपना राज्य स्तरीय प्रमाण–पत्र सम्बन्धित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

6.(I) जिले में संचालित विद्यालयों एवं कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों का जिला स्तर पर चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है । यह कमेटी संबंधित अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों पर संलग्न सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर कार्मिकों का चयन कर मेरिट के आधार पर न्यूनतम 10 प्रस्ताव अनिवार्य रूप से संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग स्तरीय शिक्षा संकुल को गोपनीय रूप से दिनांक 10.11.2025 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगी ।

1. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक	अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक	सदस्य
3. प्रशासनिक अधिकारी (जिशिअ0 मुख्यालय) (माध्यमिक)	सदस्य
4. प्रधानाचार्य, राउमावि. (जिशिअ.मा. मुख्यालय द्वारा मनोनीत)	सदस्य
5. अति.जिशिअ मुख्यालय (माध्यमिक)	सदस्य सचिव

6.(II) एससीईआरटी, (ईटीसेल सहित) उदयपुर, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, शा0 शिक्षक महाविद्यालय, सार्दुल स्पोर्टस् स्कूल तथा संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अपने कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के न्यूनतम दो प्रस्ताव तीन–तीन प्रतियों में सीधे ही संबंधित नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को गोपनीय रूप से अनुशंषा सहित दिनांकः 10.11.2025 तक प्रेषित करेंगे। मण्डल स्तर पर अंतिम चयन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता हैं :–

1	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग स्तरीय शिक्षा संकुल	नोडल अधिकारी
2	मुख्य जि.शि.अ.मण्डल मुख्यालय	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय (मण्डल)	सदस्य
4	संस्थापन अधिकारी मुख्य जिशिअ (मण्डल)	सदस्य
5	सहायक निदेशक, कार्यालय संयुक्त निदेशक	सदस्य–सचिव

उपर्युक्त समिति जिला चयन समितियां, विशिष्ठ संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर कार्मिकों का चयन कर मेरिट के आधार पर न्यूनतम 10 (दस) प्रस्ताव दो–दो प्रतियों में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को गोपनीय रूप से दिनांक 17.11.2025 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगी।

6.(III) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों के प्रस्ताव संबंधित अनुभाग/ग्रुप अधिकारी गोपनीय रूप से कार्मिकों का चयन कर अपनी अनुशंषा सहित निदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति के समक्ष दिनांक 17.11.2025 तक दो–दो प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.09.11 16:40:22 IST
Reason: Approved

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा में चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

1	उप निदेशक (प्रशासन) माध्यमिक शिक्षा	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (नियुक्ति प्रकोष्ठ)	सदस्य
3	सहायक निदेशक, (माध्यमिक)	सदस्य
4	प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य प्रशासन)	सदस्य
5	सहायक निदेशक, (सामान्य प्रशासन)	सदस्य सचिव

उपर्युक्त समिति प्राप्त प्रस्तावों पर सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर कार्मिकों का मेरिट के आधार पर चयन कर न्यूनतम दस प्रस्ताव दो प्रतियों में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अनुशंषा सहित राज्य स्तरीय चयन हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा को दिनांक 24.11.2025 को प्रस्तुत करेंगी।

6.(iv) प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों के प्रस्ताव संबंधित अनुभाग/ग्रुप अधिकारी गोपनीय रूप से कार्मिकों का चयन कर अपनी अनुशंषा सहित निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर गठित चयन समिति के समक्ष दिनांक 17.11.2025 तक प्रस्ताव दो प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे ।

निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा में चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

1	उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	अध्यक्ष
2	सहायक निदेशक (शैक्षिक), प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	सदस्य
3	सहायक निदेशक, शिक्षक संस्थापन अनुभाग, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	सदस्य
4	संस्थापन अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी,प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	सदस्य
5	सहायक निदेशक, (सामान्य प्रशासन) प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	सदस्य सचिव

उपर्युक्त समिति प्राप्त प्रस्तावों पर सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर कार्मिकों का मेरिट के आधार पर चयन कर न्यूनतम दस प्रस्ताव दो प्रतियों में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा की अनुशंषा सहित राज्य स्तरीय चयन हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा को दिनांक 24.11.2025 तक प्रस्तुत करेंगी ।

7–**राज्य स्तर पर चयन हेतु निम्नानुसार समिति हैं :–**

1	अतिरिक्त निदेशक (RAS) माध्यमिक शिक्षा	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त निदेशक (RAS) प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
3	वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
4	संयुक्त निदेशक (प्रशासन) माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
5	संयुक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
6	सहायक निदेशक, (सामान्य प्रशासन)	सदस्य सचिव

सूक्ष्म अंक योजना कुल 90 अंकों की होगी, अधिकतम 10 अंक राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा दिये जायेंगे। इस प्रकार राज्य स्तरीय मेरिट कुल 100 अंकों की होगी । राज्य स्तरीय चयन समिति अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त एवं निदेशालय (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा) स्तर पर गठित कमेटियों से प्राप्त प्रस्तावों एवं अंकों की जाँच रिकार्ड के आधार पर की जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.09.11 16:40:22 IST
Reason: Approved

प्रस्तावित अंकों की समीक्षा करने में सक्षम होंगी । तत्पश्चात राज्य स्तर पर मेरिट बना कर कार्मिकों का चयन अन्तिम रूप से अनुमोदन एवं निर्णय हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को 28.11.2025 को प्रस्तुत करेंगी

8. पंचांग :–

मंत्रालयिक कर्मचारी सम्मान से संबंधित सभी कार्यो के लिये समयबद्ध निष्पादन के लिये निम्नानुसार पंचाग निर्धारित किया जाता है :–

1	जिले में संचालित समस्त विद्यालयों/कार्यालयों एवं विशिष्ठ संस्थानों में कार्यरत सहायक कर्म. संवर्ग/मंत्रालयिक संवर्ग/निजी सहायक संवर्ग/वाहन चालक संवर्ग में न्यूनतम 15 वर्ष की शिक्षा विभागीय सेवाऐं पूर्ण कर चुके उत्कृष्ट कार्य वाले कार्मिकों के प्रस्ताव स्वयं संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किये जाकर गोपनीय स्तर पर तीन प्रतियों में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारंभिक) तक भिजवाया जाना।	27.10.2025
2	जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक स्तर पर) प्रकरण अधिनस्थों से प्राप्त कर जिला स्तरीय चयन समिति को अनुशंषा सहित प्रस्ताव मण्डल अधिकारियों को उपलब्ध कराना एवं विशिष्ठ संस्थानों द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर अनुशंषा सहित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा संभाग स्तर को उपलब्ध कराना।	10.11.2025
3	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा (नोडल अधिकारी) स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर अनुशंषा सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराना ।	17.11.2025
4	निदेशालय माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा से प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर अनुशंषा सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की राज्य स्तरीय गठित कमेटी का उपलब्ध कराना ।	24.11.2025
5	राज्य स्तर पर गठित कमेटी द्वारा चयन कर प्रस्ताव निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के समक्ष अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करना ।	28.11.2025
6	शिक्षा विभागीय (राज्य स्तरीय) मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारी पुरस्कार एवं सम्मान समारोह–2025	16.12.2025

प्रस्ताव में पूर्ण गुणवता व विशेष रूचि के साथ कार्य संपादित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जावें । सम्मान हेतु अनुशंषित किये जाने वाले प्रकरणों में पूर्णतः गोपनीयता बरती जावें । इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा सम्भाग स्तरीय शिक्षा संकुल को एवं संयुक्त निदेशक (नोडल अधिकारी) द्वारा निदेशालय को भिजवाये जाने वाले प्रस्ताव सील बंद पैकेट में संबंधित प्रभारी अधिकारी के साथ ही भिजवावें । यह ध्यान रहे कि प्रस्तावों के साथ भेजे जाने वाले अग्रेषण पत्र में चयनित कर्मचारियों के नाम अंकित नहीं करें बल्कि उनके प्रस्तावों की मात्र संख्या ही अंकित की जावें ।

पूर्व में शिक्षा विभागीय राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित कार्मिक एवं जिन कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है/प्रस्तावित है उनके प्रस्ताव नहीं भिजवावें ।

उक्त प्रस्ताव हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि इस संबंध में विस्तृत रूप से प्रचार–प्रसार किया जावें, ताकि उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों [illegible] योजना का लाभ मिल सके ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.09.11 16:40:22 IST
Reason: Approved

पूर्व वर्षो में यह देखने में आया है कि मंत्रालयिक संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मान समारोह हेतु कुछ इकाईयों द्वारा एक भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है । ऐसी स्थिति में उस मण्डलाधीन कार्यरत उत्कृष्ट कार्मिक सम्मान से वंचित रह जाते हैं अतः समस्त मण्डल अधिकारियों /जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीन उत्कृष्ठ कार्मिकों के प्रस्ताव व्यक्तिशः रूचि लेकर तैयार कर सक्षम अधिकारी को समय पर प्रस्तुत करें। यदि किसी भी स्थिति में आपके मण्डल द्वारा प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों की सूचना शून्य भिजवाई जाती है तो विपरीत परिस्थितियों में उत्तरदायित्व आपका निर्धारित किया जा सकता है।

उक्त पत्र मय संलग्न अधीनस्थ समस्त कार्यालयों/संस्थानों/विद्यालयों में आपके कार्यालय स्तर पर तत्काल प्रसारित किया जाकर प्रस्ताव प्राप्त करने की कार्यवाही निर्धारित पंचाग के अनुसार संपादन हेतु आपको एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है ।

संलग्न

1. प्रपत्र
2. सूक्ष्म चयन अंक योजना

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

क्रमांकः शिविरा–माध्य/साप्र/बी–2/4399(49)(21)/2025/ई–44027/01 दिनांक :यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्नांकित को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है (मय संलग्न) :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
3. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SIERT)उदयपुर
4. संयुक्त निदेशक, प्रौद्यिगिकी विभाग, अजमेर
5. प्राचार्य,राजकीय उच्च.अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर/अजमेर
6. प्राचार्य,राज.शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर
7. प्राचार्य,राजकीय सार्दुल स्पोर्टस् स्कूल, बीकानेर
8. समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
9. जिला शिक्षा अधिकारी विधि (माध्यमिक/प्रारम्भिक) जयपुर/जोधपुर
10. वरिष्ठ संपादक, शिविरा प्रकाशन, कार्यालय हाजा को प्रकाशनार्थ
11. समस्त ग्रुप अधिकारी/अनुभाग अधिकारी
12. मैनेजर राजकीय गुरूनानक भवन शिक्षण संस्थान, जयपुर
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. गार्ड पंजिका

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.09.11 16:40:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17697061

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

शिक्षा विभागीय (राज्य स्तरीय) मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुरस्कार एवं सम्मान समारोह हेतु चैक लिस्ट

01. पूर्ण भरा हुआ **आवेदन फॉर्म** हस्ताक्षरित एवं संस्था प्रधान द्वारा सत्यापित।
02. **परिशिष्ट 'क' एवं परिशिष्ट 'क'** की आवश्यक सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।
03. **परिशिष्ट 'ख–I'** संलग्न करें। (मंत्रालयिक सवर्ग के कर्मचारियों द्वारा भरा जावे)
04. **परिशिष्ट 'ख–II'** संलग्न करें।(सहायक कर्मचारी व समकक्ष सवर्ग के कर्मचारियों द्वारा भरा जावें)
05. परिशिष्ट ,'ख–I की **टेबल 1, 2, 3 एवं ख–II की टेबल 1,2 संस्था प्रधान/कार्यालयध्यक्ष** द्वारा भरी जावें।
06. गत 5 वर्षों की पूर्ण **गोपनीय वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की संस्था प्रधान द्वारा सत्यापित** प्रति संलग्न करें। **प्रति संलग्न न होने की स्थिति में संतोषप्रद का प्रमाण पत्र संस्था प्रधान द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें।**
07. सेवा अवधि के रिकॉर्ड हेतु **प्रथम नियुक्ति आदेश एवं कार्मिक का प्रपत्र 10 सत्यापित प्रति** आवश्यक रूप से संलग्न करे।
08. कर्मचारी ने **लेख/रचनायें/पुस्तक लिखी है** तो उसका स्तर (राष्ट्रीय/राज्य/मण्डल /जिला/स्थानीय) दर्शावें एवं सत्यापित प्रति संलग्न करें।
09. **विभागीय प्रतियोगिता** में भाग लिया है तो सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें। (राष्ट्रीय/राज्य/मण्डल /जिला/स्थानीय)
10. कर्मचारी के विकलांग होने की स्थिति में **विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति** संलग्न करें।
11. **बिन्दू संख्या 09** के सम्बन्ध में **प्रशंसा पत्र मिला है तो सत्यापित प्रति** संलग्न करें।
12. **बिन्दू संख्या 10** के संबंध में अन्य **महत्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियों का उल्लेख करते** समय सत्यापित प्रति संलग्न कर बिन्दू संख्या अंकित करें।
13. **बिन्दू संख्या 11** के सम्बन्ध में **कार्यालयाध्यक्ष द्वारा मूल्यांकन/अनुशंषा का सत्यापित प्रमाण** पत्र प्रस्तुत करने पर ही अंक देय होंगें।
14. कर्मचारी के **शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी डिग्री या प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति** संलग्न करें।
15. कर्मचारी के **विभागीय जांच की रिपोर्ट** समिति के समस्त सदस्यों द्वारा प्रमाणित करके **आवश्यक रूप से संलग्न करें** विभागीय जांच रिपोर्ट के अभाव में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
16. कार्मिक की बैंक पासबुक/निरस्त चैक की प्रमाणित प्रति संलग्न करे जिसमें खाते संबंधी पूर्ण जानकारी हो।
17. कार्मिक का नवीनतम छाया चित्र/फोटो प्रशस्तियों में प्रकाशित किए जाने हेतु अलग से स्टेपल कर संलग्न करें।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

शिक्षा विभागीय (राज्य स्तरीय) मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुरस्कार एवं सम्मान समारोह हेतु आवेदन पत्र

प्रपत्र का परिशिष्ट 'क' कार्मिक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, सेवा पुस्तिका आदि स्त्रातों से भरे जाए । परिशिष्ट 'ख–1' और 'ख–II' क्रमशः जिला समिति एवं राज्य समिति के अध्यक्ष तथा इस प्रयोग हेतु नियुक्त समिति द्वारा भरे जाए । परिशिष्ट 'ग' मण्डल स्तर पर नॉडल समिति तथा परिशिष्ट 'घ' राज्य स्तरीय समिति द्वार भरा जाये ।	पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटो चिपकाएं एवं 01 अतिरिक्त साफ फोटो संलग्न करें।

1.	नाम कार्मिक (श्री/सुश्री/श्रीमती)	
2.	वैवाहिक स्थिति	☐ विवाहित ☐ अविवाहित ☐ महिला ☐ पुरूष
3.	पद नाम	
4.	एम्पलोयी आईडी	
5.	जन्म दिनांक	............/............/.............. वर्तमान आयु ....वर्ष.......... माह
6.	प्रथम नियुक्ति तिथि	
7.	वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि	
8.	सेवानिवृति तिथि	............/............/..............
9.	वर्तमान कार्यालय का नाम एवं पूर्ण पता (पिन कोड सहित)	जिलाः–............................ पिन कोड..........................
10.	प्रथम नियुक्ति स्थान का नाम एवं पता (पिन कोड सहित)	जिलाः–............................ पिन कोड..........................
11.	पूर्ण स्थाई पता जिले सहित (पिन कोड,सहित)	जिलाः–............................ पिन कोड..........................
12.	व्हाटसअप मोबाईल नम्बर	
13.	शैक्षिक/तकनीकी योग्यता	
14.	शिक्षा विभाग में कार्मिक द्वारा सेवा शुरू करने की तिथि सहित कुल सेवा	कुल सेवा............................. वर्ष..........माह.......

15.	कार्मिक के बैंक खाता विवरण (पास बुक की प्रति संलग्न करें)	खाता नम्बर.. बैंक का नाम .... शाखा का नाम.. आईएफएससी कोड..
16.	कार्मिक के विभागीय जाँच विवरण (प्रति संलग्न करें) (संयुक्त निदेशक के हस्ताक्षरमय प्रमाणित प्रति मोहर सहित)	प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.......................पदनाम..................पदस्थापन स्थान........................के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जॉच/कानूनी कार्यवाही वर्तमान में न तो चल रही है और न ही विचाराधीन है ।

17. सेवा रिकार्ड विवरण:–

कार्यालय का प्रकार	संस्था/कार्यालय का नाम	पद जिस पर कार्य किया/कार्यरत है	सेवा की अवधि दिनांक महिना एवं वर्ष सहित				
			अवधि		कुल अनुभव		
			........से	.......तक	वर्ष	माह	दिन
विद्यालय							
कार्यालय							
अन्य							
अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति							
कुल							

नोट :–

1. शिक्षा विभागीय परियोजनाओं के अतिरिक्त कार्मिक की अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा अवधि को कुल अनुभव अवधि में से कम किया जावें ।
2. यदि कार्मिक द्वारा पूर्व में पुरस्कार लिया जा चुका है तो पुनः आवेदन न करें।

राज्य स्तरीय सम्मान हेतु कार्मिक की अनुशंषा करने के लिए प्रपत्र

परिशिष्ट –'क'

1. क्या कार्मिक ने कार्यालय/संस्था के भौतिक विकास के लिए निर्धारित सामुदायिक संसाधनों का संघटन किया हैं ? यदि हॉ तो विवरण देवें । प्रति संलग्न करें।
2. क्या कर्मचारी ने कार्यालय पद्धति अधिक प्रभाव के लिए कोई नवाचारी प्रयोग किया हैं ? संक्षिप्त विवरण देवें । प्रति संलग्न करें।
3. क्या कार्मिक ने किसी सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में भाग लिया हैं ? यदि हां तो विगत पांच वर्षो का विवरण देवें । प्रति संलग्न करें।
4. क्या कार्मिक ने कोई लेख,रचना,पुस्तक आदि लिखी हैं ? यदि हां तो विवरण देवें एवं लेख, रचना, पुस्तक का स्तर लिखें (जिला स्तर/राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर) प्रति संलग्न करें।
5. क्या विगत पॉच वर्षो के दौरान कार्मिक को संस्था/कार्यालय समुदाय या सरकार से कोई मान्यता प्राप्त पुरस्कार या ईनाम मिला हैं ? यदि हां तो विवरण देवें । प्रति संलग्न करें।
6. उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि जो कार्मिक को पुरस्कार हेतु पात्रता में सहायक हो । प्रति संलग्न करें।
7. संस्था प्रधान द्वारा समग्र मूल्यांकन **आवश्यक रूप से भरा जावें।**

....

....

....

9. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समग्र मूल्यांकन **आवश्यक रूप से भरा जावें।**

....

....

....

हस्ताक्षर मय मोहर
जिशिअ(मुख्यालय)माध्यमिक/प्रारंभिक
/अनुभाग/ग्रुप अधिकारी
निदेशालय (माध्यमिक/प्रारंभिक)
संस्था प्रधान,विशिष्ठ संस्थान

परिशिष्ट –'ख–1'

जिला समिति/मण्डल समिति(नॉडल) /मा.शि एवं प्रा.शि.निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा भरा जावेगा

(मंत्रालयिक सवर्ग के कर्मचारियों के लिये)

कुल अंक–90

अंक–10

1	कार्य का मूल्यांकन	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद
		1	3/4	1/2	1/4
1	नोटिंग				
2	पत्र लेखन की क्षमता				
3	पंजिकाओं का संधारण				
4	पीयूसी प्रस्तुत करने की स्थिति				
5	लंबित प्रकरणों की स्थिति				
6	दैनंदिनी संधारण				
7	स्मरण डायरी की स्थिति				
8	कार्य निष्पादन की गति				
9	टंकण कार्य की कुशलता/कम्प्यूटर				
10	कार्यालयी कार्य क्षमता				

अंक–12

2	व्यक्तित्व एवं प्रतिष्टा	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद
		1	3/4	1/2	1/4
1	व्यक्तित्व				
2	व्यवहार				
3	शिष्टाचार				
4	धैर्यता				
5	चारित्रिक गुण				
6	शारीरिक क्षमता				
7	मानसिक जागरूकता				
8	प्रासनिक क्षमता				
9	दूरदर्शिता				
10	कार्य निष्पादन क्षमता				
11	जनता/सहकर्मियों से संबंध				
12	मानवीय दृष्टिकोण				

अंक–06

3	व्यक्तित्व एवं प्रतिष्टा	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद
		3	2	1.1/2	1
1	स्थानीय कार्यालय/संस्था में प्रतिष्टा प्रमाण पत्र संलग्न करें।				
2	समाज सेवा प्रमाण पत्र संलग्न करें।				

4. गत 05 वर्षो के गोपनीय वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की टिप्पणी – अंक–10(ACR) प्रति संलग्न करें।

वित्तीय वर्ष		उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद
		2	1.1/2	1	1/2
1	2020–21				
2	2021–22				
3	2022–23				
4	2023–24				
5	2024–25				

नोट–वा.का.मू. प्रतिवेदन उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित वर्ष का संतोषजनक प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे । इस हेतु अंक योजना की गणना प्रतिवर्ष 1/2 अंक के अधार पर देय होगी ।

5. सेवा अवधि के अधिकतम अंक–7

सेवा की पूर्ण अवधि	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 से अधिक
	1 अंक	5 अंक	7 अंक
कुल सेवा			

6. क्या कर्मचारी ने लेख/रचनायें/पुस्तक लिखी हैं ? यदि हॉ तो उनका पूर्ण विवरण देंवें । प्रति संलग्न करें।

अंक– 10

(राष्ट्रीय–10,राज्य–7,मण्डल–5,जिला–03,स्थानीय स्तर–02)

7. क्या कर्मचारी ने विभागीय प्रतियोगिता में भाग लिया हैं अथवा आयोजन में रचनात्मक कार्य/सहयोग दिया है ? अंक– 10

(राष्ट्रीय–10,राज्य–7,मण्डल–5,जिला–03,स्थानीय स्तर–02)

8.यदि कर्मचारी विकलांग हैं । अंक– 02

(जिन्हें नियमानुसार विकलांग वाहन भत्ता देय है ।)

9 कर्मचारी को संस्था/कार्यालय/समुदाय/समाज /जिला प्रशासन/राज्य सरकार/भारत सरकार से कोई पुरस्कार, प्रशंसा पत्र मिले हो तो विवरण दें । (सत्यापित प्रतियां संलग्न की जावें)	राष्ट्रीय स्तर–10 राज्य स्तर–07 मण्डलस्तर–05 जिला स्तर–03 स्थानीय स्तर–02

10. अन्य महत्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियों का जिसका उल्लेख उपर न आया हो (प्रति संलग्न करें) अंक– 05

11. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा समग्र मूल्यांकन/अनुशंषा अंक– 03

12. शैक्षणिक योग्यता (प्रति संलग्न करें।) अंक– 02
स्नातकोत्तर स्तर– 02 अंक
स्नातक स्तर – 01 अंक

13. तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा (कम्प्यूटर इत्यादि) (प्रति संलग्न करें) अंक 03
स्नातकोत्तर स्तर– 03 अंक
स्नातक स्तर – 02 अंक
सर्टिफिकेट/कोर्स –01 अंक

कुल योग (अंकों में) –(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) ....

कुल योग (शब्दों में):– ....

श्री/सुश्री/श्रीमती .... पद ....

पिता/पति का नाम ....जन्मतिथि ..../..................../..................

कार्यालय/विद्यालय ....

....

के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. टेबल 1, टेबल 2, टेबल 03 अनुभाग अधिकारी/संस्था प्रधान द्वारा भरा गया है।
2. इनको पूर्व में शिक्षा विभागीय (राज्य स्तरीय) पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
3. कार्मिक शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं हैं ।
4. अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा अवधि को कुल सेवा में से कम कर दिया गया है ।
5. इनके प्रस्ताव के साथ वॉछित प्रलेख संलग्न कर दिये गये है तथा प्रलेखों की जॉच कर ली गई है ।

हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर
प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य	तृतीय सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष

भाग –'ख–II'

जिला समिति/मण्डल समिति(नॉडल) /मा.शि एवं प्रा.शि.निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा भरा जावेगा

(केवल सहायक कर्मचारी व समकक्ष सवर्ग के कर्मचारियों के लिये)

कुल अंक–90

अंक–33

1	व्यक्तित्व एवं प्रतिष्टा	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद
		3	2.5	2	1
1	व्यक्तित्व				
2	व्यवहार				
3	शिष्टाचार				
4	धैर्यता				
5	चारित्रिक गुण				
6	शारीरिक क्षमता				
7	मानसिक जागरूकता				
8	दूरदर्शिता				
9	कार्य निष्पादन क्षमता				
10	जनता/सहकर्मियों से संबंध				
11	मानवीय दृष्टिकोण				

अंक–12

2	व्यक्तित्व एवं प्रतिष्टा	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद
		6	5	3	2
1	स्थानीय कार्यालय/संस्था में प्रतिष्टा (प्रमाण पत्र संलग्न करे)				
2	समाज सेवा (प्रमाण पत्र संलग्न करे)				

3 सेवा का विवरण

सेवा की पूर्ण अवधि	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 से अधिक
	2 अंक	3 अंक	4 अंक
कुल सेवा	15 वर्ष तक लगातार माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में सेवा पर 2 अंक अतिरिक्त देय होगा।		

कार्यालय का प्रकार	संस्था/कार्यालय का नाम	पद जिस पर कार्य किया/कार्यरत है	सेवा की अवधि दिनांक महिना एवं वर्ष सहित				
			अवधि		कुल अनुभव		
			........से	.......तक	वर्ष	माह	दिन
विद्यालय							
कार्यालय							
अन्य							
अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति							
कुल							

4. क्या कर्मचारी ने विभागीय प्रतियोगिता में भाग लिया हैं अंक– 10
अथवा आयोजन में रचनात्मक कार्य/सहयोग दिया है ?
उल्लेख करें । (राष्ट्रीय–10,राज्य–7,मण्डल–5,जिला–03,स्थानीय स्तर–02)

5. यदि कर्मचारी विकलांग हैं । अंक– 05
(जिन्हें नियमानुसार विकलांग वाहन भत्ता देय है ।)

6 कर्मचारी को संस्था/कार्यालय/समुदाय/समाज /जिला प्रशासन/राज्य सरकार/भारत सरकार से कोई पुरस्कार, प्रशंसा पत्र मिले हो तो विवरण दें ।

राष्ट्रीय स्तर–10
राज्य स्तर–07
मण्डलस्तर–05
जिला स्तर–03
स्थानीय स्तर–02

7. अन्य महत्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियों का जिसका उल्लेख उपरोक्त में न आया हो अंक– 06

8. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा समग्र मूल्यांकन/अनुशंषा (सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें) <u>अंक– 05</u>

9. शैक्षणिक योग्यता (प्रति संलग्न करें।) अंक–03

उच्च माध्यमिक स्तर– 03 अंक

माध्यमिक स्तर – 02 अंक

साक्षर – 01 अंक

कुल योग (अंको में) –(1+2+3+4+5+6+7+8) ....

कुल योग (शब्दों में) –(1+2+3+4+5+6+7+8) ....

श्री/सुश्री/श्रीमती .... पद ....

पिता/पति का नाम .... जन्मतिथि ....

कार्यालय/विद्यालय ....

....

के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जॉच/कानूनी कार्यवाही वर्तमान में न तो चल रही है और न ही विचाराधीन है ।
2. इनको पूर्व में शिक्षा विभागीय राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है ।
3. कार्मिक शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं हैं ।
4. अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा अवधि को कल सेवा में से कम कर दिया गया है ।
5. इनके प्रस्ताव के साथ वॉछित प्रलेख संलग्न कर दिये गये है तथा प्रलेखों की जॉच कर ली गई है ।

हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर
प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य	तृतीय सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष

परिशिष्ठ –'ग'
मण्डल(नॉडल) स्तर पर गठित समिति की सिफारिश

हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर
प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य	तृतीय सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष

परिशिष्ठ –'घ'
राज्य स्तर पर गठित समिति की सिफारिश

हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर	हस्ताक्षर मय मोहर
प्रथम सदस्य	द्वितीय सदस्य	तृतीय सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष